डिस्कलेमर

आदेश संख्या 05/2026-27 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एम.वाई.टी.पी./ एजीएचपोर्ट /जीएच/एलकेओ/सीपी-I/2026-27

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 05/2026-27

ऐरा कार्यालय
तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 19.05.2026

सेवा	**: ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (जी.एच.एस.)**
सेवा प्रदाता	**: मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**: चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ**
हवाईअड्डा प्रचालक	**: लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**

विषय: मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में इसकी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2026 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण।

स्वतंत्र सेवा प्रदाता की प्रस्तुति

1. मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (स्वतंत्र सेवा प्रदाता) ने अपनी दिनांक 24.03.2026 की ईमेल के माध्यम से प्राधिकरण को सूचित किया कि लखनऊ, हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए, हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल) द्वारा की गई निविदा प्रक्रिया में उसे सफल बोलीदाता के रूप में चुना गया है। इस संबंध में, हवाईअड्डा प्रचालक ने आईएसपी के पक्ष में दिनांक 09.03.2026 को 'कार्य सौंपने संबंधी पत्र' (एलओए) जारी किया, जिसके अंतर्गत उसे सीसीएसआईए, लखनऊ में 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ और ब्रिज माउंटेड सेवाएँ प्रदान करने का लाइसेंस प्रदान किया गया है।

2. स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने दिनांक 24.03.2026 की अपनी ईमेल के माध्यम से प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ (सीसीएसआईए) में मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए ऐरा द्वारा पूर्व में अनुमोदित टैरिफ के आधार पर, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ को अनुमोदित करे।

3. मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 27.03.2026 की ईमेल के माध्यम से यह भी सूचित किया कि पिछली ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (जीएचए) अर्थात मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की रियायत अवधि 31.03.2026 को समाप्त हो रही है और उसके स्थान पर स्वतंत्र सेवा प्रदाता लखनऊ हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करेगा, ताकि हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन का जारी रहना सुनिश्चित हो सके।

4. मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के अनुमोदन के लिए अपने अनुरोध के साथ, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कीं:
   (i) लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ द्वारा जारी दिनांक 9.3.2026 के पत्र संख्या एलआईएएल /सीओएमएम/जीएच/एजीएचपोर्ट/01/2178 का कार्य सौंपने संबंधी पत्र (एलओए)।
   (ii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा दिनांक 22.09.2025 के पत्र संख्या सीएएस (एम) - 2025/ईएसएएचएजे/एनएमआईएएल/एयूएक्स/मैसर्स एजीएचपोर्ट/एफ-01/ (ई274767) द्वारा जारी सुरक्षा अनुमति।

प्राधिकरण की जांच

5. प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि लखनऊ हवाईअड्डे के प्रचालक अर्थात लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल) ने मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आईएसपी) के पक्ष में 'कार्य सौंपने संबंधी पत्र' जारी किया है, जिसके अंतर्गत उसे सीसीएसआईए, लखनऊ में 'ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ' प्रदान करने का लाइसेंस प्रदान किया गया है। हालाँकि, यह भी नोट किया गया कि आईएसपी ने हवाईअड्डा प्रचालक के साथ हुए 'रियायत करार' की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। तदनुसार, आईएसपी से यह कहा गया कि वह लखनऊ हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में, हवाईअड्डा प्रचालक के साथ किए गए रियायत करार की एक प्रति प्रस्तुत करे।

6. इसके बाद मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 09.05.2026 की ई-मेल से स्वतंत्र सेवा प्रदाता और हवाईअड्डा प्रचालक के बीच 04.05.2026 को हुए रियायत करार की एक प्रति प्रस्तुत की। यह करार लखनऊ हवाईअड्डे पर प्रभावी तारीख से दस (10) वर्ष की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में था; साथ ही, इसमें आपसी सहमति से तय की गई अवधि के लिए लाइसेंस की अवधि बढ़ाने का अधिकार भी शामिल था।

7. प्राधिकरण यह नोट करता है कि मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिनांक 22.09.2025 के पत्र संख्या सीएएस (एम) -2025/ ईएसएएचएजे/ एनएमआईएएल/एयूएक्स/मैसर्स एजीएचपोर्ट/एफ-01/ (ई274767) द्वारा सुरक्षा अनुमति प्राप्त कर ली है; और यह सुरक्षा अनुमति, उपर्युक्त पत्र जारी होने की तारीख से पांच (5) वर्ष के लिए वैध है।

8. आईएसपी ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि प्राधिकरण सीसीएसआईए , लखनऊ के लिए मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व जीएचए) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए दिनांक 07.12.2021 के आदेश संख्या 29/2021-22 के माध्यम से ऐरा द्वारा पहले से अनुमोदित टैरिफ के अनुसार, तदर्थ टैरिफ का अनुमोदन करे।

9. आईएसपी के अनुरोध की जांच करने के बाद, प्राधिकरण का यह विचार है कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) द्वारा अपना बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत करने में और आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारण के लिए प्राधिकरण द्वारा उचित विनियामक प्रक्रिया पूर्ण करने में कुछ समय लगेगा। इस बीच अंतरिम उपाय के तौर पर, प्राधिकरण ने सीसीएसआईए, लखनऊ में आईएसपी की ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 'तदर्थ टैरिफ' को मानने का निर्णय लिया है; यह निर्णय लखनऊ हवाईअड्डे पर पूर्ववर्ती ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के लिए ऐरा द्वारा पहले अनुमोदित नियमित टैरिफ के आधार पर है।

आदेश

रिकॉर्डो में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को चौधरी चरण सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए **अनुलग्नक I, II एवं III** के अनुसार, प्रभार लगाने और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है, जो वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2026 तक, या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेंगे।

(ii) प्राधिकरण निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ, समान प्रकार के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेडयूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी–24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार चौधरी चरण सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ में ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(v) इसमें अनुमोदित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में इस तदर्थ टैरिफ आदेश को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(vii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

श्री विजय मेहता,
मैसर्स एजीएचपोर्ट एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
रूम नम्बर. ई- 8-3018, लेवल 3, टर्मिनल 2,
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अंधेरी (पूर्व),
मुम्बई-400099

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003

2. मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अदानी कॉरपोरेट हाऊस, शांतिग्राम, वैष्णोदेवी सर्कल के पास, एस.जी. राष्ट्रीय राजमार्ग, खोडियार, अहमदाबाद-गुजरात- 382421